CF पृष्ठभाग पर
न्यायालय
२१/९/१४

कार्यालय सागर
१९-९-१४

२९-९-१४

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, सागर, म.प्र.

R- 3461- I/14

मोहन पिता जीवन पाल उम्र 35 वर्ष,

साकिन-बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, म.प्र.

...पुनरीक्षणकर्ता

|| बनाम ||

2014 परषोत्तम पिता नन्हेलाल सेन, उम्र लगभग 40 वर्ष,

साकिन-बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, म.प्र.

...उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता :

पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पथरिया तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक-165बी/121/वर्ष 2013-2014 में उत्तरवादी द्वारा पेश धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत पेश अन्तरिम आवेदन स्वीकृति आदेश दिनांक 22.07.2014 से दुखित होकर समयावधि के भीतर पेश किया है

1 पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हैं कि:- मौजा बोतराई प.ह.नं.3 तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र. में स्थित भूमि ख.नं.244 ,245 के उत्तरवादी अनावेदक न तो भूमि स्वामी हैं और न ही मालिककाबिज हैं न ही उपरोक्त भूमि उनकी पैत्रिक भूमि है वर्तमान में ख.नं. 244/1 रकवा 0.74 हे0 राजस्व अभिलेख में महादेव हरिया, हरिराम पिता भावसींग के नाम दर्ज है । ख.नं.244/2 रकवा 0.81 हे0 भूमिराजस्व अभिलेख में शालकराम ,कालूराम, रामेश्वर, नरेश, गनेश, पिता काशीराम के नाम से दर्ज है। ख.नं.245/1 रकवा 0.79हे0 राहुल वल्द देवराज के नाम से तथा ख.नं.245/2 रकवा 0.40 हे0 कल्पना पति कामताप्रसाद के नाम से राजस्व रिकार्ड में बेनामा के आधार पर दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3461–एक / 14 जिला ~~सागर~~ दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो अभि. आ हस्ताक्षर
06–01–15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री बलराम प्रजापति उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा तहसीलदार तहसील व जिला दमोह के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 22–7–2014 का अवलोकन किया गया जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी दिनांक 22–7–14 को स्थगन आदेश जारी किया गया है, प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया है । आवेदक को अपनी साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर तहसील न्यायालय में उपलब्ध है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	